भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-186

उत्तर देने की तारीख-03/2/2025

नो डिटेंशन नीति

†186. **श्री इटेला राजेंदर:**

श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

श्रीमती डी. के. अरुणा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छात्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता और अधिगम के परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से पांचवी से आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 'नो डिटेंशन ' नीति को हटाने का है;

(ख) क्या तमिलनाडु सहित कुछ राज्यों में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या स्कूली छात्रों के बीच अधिगम के परिणामों के माध्यम से मापी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के विशेष संदर्भ में राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 16 और 38 में संशोधन करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 दिनांक 11 जनवरी, 2019 को अधिसूचित किया गया। आरटीई (संशोधन) अधिनियम, 2019 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"16(1) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में पांचवीं कक्षा और आठवीं कक्षा की नियमित परीक्षा होगी।

(2) यदि कोई बच्चा उपधारा (1) में निर्दिष्ट परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे अतिरिक्त अनुदेश दिया जाएगा तथा परिणाम घोषित होने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा।

(3) समुचित सरकार विद्यालयों को किसी बच्चे को पांचवीं कक्षा में या आठवीं कक्षा में या दोनों कक्षाओं में, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, रोके रखने की अनुमति दे सकेगी, यदि वह उपधारा (2) में निर्दिष्ट पुन: परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है:

बशर्ते कि समुचित सरकार यह निर्णय ले सके कि किसी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में न रोका जाए।

(4) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।"

केंद्र सरकार ने आरटीई (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत प्रस्तुत आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 16 के संशोधित प्रावधान को प्रभावी करने के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 में विधिवत संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है। ये नियम केन्द्र सरकार के स्कूलों तथा विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रित स्कूलों पर लागू होंगे, जिनके लिए आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 2(क) के अनुसार केन्द्र सरकार उपयुक्त सरकार है। उक्त नियम दिनांक 21 दिसंबर, 2024 के जी.एस.आर 777 (ई) के माध्यम से अधिसूचित किए गए।

आरटीई (संशोधन) नियम, 2024 के नियम 16 क के अनुसार, वह प्रक्रिया और शर्तें जिसके अध्यधीन किसी बच्चे को रोका जा सकता है, वह है:

"(1) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में पांचवीं कक्षा और आठवीं कक्षा की नियमित परीक्षा होगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात्, यदि कोई बच्चा समय-समय पर अधिसूचित अगली क्रमोन्नयन मानदण्डों को पूरा करने में असफल रहता है, तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर अतिरिक्त अनुदेश तथा पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा।

(3) यदि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट पुन: परीक्षा में उपस्थित होने वाला बच्चा पुनः क्रमोन्नयन मानदंड को पूरा करने में असफल रहता है, तो उसे यथास्थिति, पांचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा में रोक दिया जाएगा।

(4) बच्चे को रोके रखने के दौरान, कक्षा शिक्षक बच्चे के साथ-साथ, यदि आवश्यक हो तो, बच्चे के माता-पिता का भी मार्गदर्शन करेगा और मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में अधिगम अंतराल की पहचान करने के बाद विशेष जानकारी प्रदान करेगा।

(5) स्कूल प्रमुख उन बच्चों की सूची बनाए रखेगा जो पीछे रह गए हैं तथा ऐसे बच्चों के लिए विशेष इनपुट हेतु किए गए प्रावधानों तथा अभिज्ञात अधिगम अंतराल के संबंध में उनकी प्रगति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेगा।

(6) परीक्षा और पुन: परीक्षा बच्चे के समग्र विकास के लिए याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित न होकर योग्यता-आधारित परीक्षाएं होंगी।

(7) किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने तक किसी भी स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।"

(ख): यूडाइज़+ के अनुसार, वर्ष 2013-2014 में तमिलनाडु का माध्यमिक (कक्षा 9-10) के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 73.8 था जो वर्ष 2023-2024 में बढ़कर 97.5 हो गया है। जीईआर राष्ट्रीय/राज्य-वार का ब्यौरा यूडाइज़+ पोर्टल पर उपलब्ध है। इसे https://dashboard.udiseplus.gov.in/udiseplus-archive/#/reportDashboard/sReport पर देखा जा सकता है।

(ग) और (घ): शिक्षा मंत्रालय बच्चों की प्रगति और अधिगम क्षमताओं का आकलन करने के लिए तीन वर्ष के अंतराल से कक्षा 3, 5, 8 और 10 में नमूना आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का एक रोलिंग कार्यक्रम लागू कर रहा है। एनएएस (जिसे अब परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है) का नवीनतम सर्वेक्षण दिनांक 4 दिसंबर, 2024 को पूरे देश में आयोजित किया गया था, ताकि भाषा, गणित, हमारे आस-पास की दुनिया, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों में आधारभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों (अर्थात, वर्तमान में तीसरी, छठी और नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र) के अंत में छात्रों द्वारा विकसित की गई क्षमताओं का आकलन किया जा सके।

एनएएस 2017 और एनएएस 2021 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों के कक्षा-वार और विषय-वार प्रदर्शन को दर्शाने वाला राज्यवार रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे https://nas.gov.in/report-card पर देखा जा सकता है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना का एनएएस 2021 रिपोर्ट कार्ड अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

******

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री इटेला राजेंदर, श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी और श्रीमती डी. के. अरुणा द्वारा 'नो डिटेंशन नीति' के संबंध में दिनांक 03.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 186 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021- दिए गए सही उत्तरों की संख्या का कुल प्रतिशत

कक्षा	विषय	आंध्र प्रदेश
कक्षा 3	भाषा	57
	गणित	54
	ईवीएस	53
कक्षा 5	भाषा	47
	गणित	40
	ईवीएस	43
कक्षा 8	भाषा	49
	गणित	35
	विज्ञान	36
	सामाजिक विज्ञान	35
कक्षा 10	अंग्रेजी	49
	गणित	32
	विज्ञान	35
	सामाजिक विज्ञान	37
	एमआईएल	39

कक्षा	विषय	उत्तर प्रदेश
कक्षा 3	भाषा	58
	गणित	54
	ईवीएस	54
कक्षा 5	भाषा	52
	गणित	41
	ईवीएस	46
कक्षा 8	भाषा	47
	गणित	33
	विज्ञान	35
	सामाजिक विज्ञान	36
कक्षा 10	अंग्रेजी	34
	गणित	29
	विज्ञान	31
	सामाजिक विज्ञान	33
	एमआईएल	38

कक्षा	विषय	तेलंगाना
कक्षा 3	भाषा	48
	गणित	44
	ईवीएस	45
कक्षा 5	भाषा	43
	गणित	35
	ईवीएस	38
कक्षा 8	भाषा	48
	गणित	32
	विज्ञान	35
	सामाजिक विज्ञान	34
कक्षा 10	अंग्रेजी	48
	गणित	29
	विज्ञान	34
	सामाजिक विज्ञान	36
	एमआईएल	36

एमआईएल: आधुनिक भारतीय भाषा, ईवीएस: पर्यावरण अध्ययन